फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी		अप्रार्थी
मंछाराम उर्फ मनसुखलाल पुत्र रामाजी, जाति प्रजापति नि. आन्नद (गुजरात) हाल कुमारवास सिलदर तह. व जिला सिरोही	**बनाम**	स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — **रा.प्रा.पत्र सं. 130/2024**

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24.09.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील कैलाश नामा व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/725 दिनांक 18.08.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर की वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 227 में खसरा सं. 72, 73, 76, 801 व 802, खाता सं. 270 खसरा नं. 939, खाता सं. 138 खसरा नं. 721, खाता सं. 225 खसरा नं. 940/1463, 963/1472, व 966/1470 तथा खाता सं. 153 खसरा नं. 982 की आराजी में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में नाम मंछाराम पुत्र रामाजी दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम मनसुखलाल पुत्र रामाजी है। प्रार्थी वर्तमान में रोजगार प्रयोजन से गुजरात राज्य में रहता है। गुजरात सरकार का गजट नोटिफिकेशन नं. 29 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा प्रार्थी का नाम मंछाराम से बदलकर मनसुखलाल किया हुआ है। प्रार्थी मनसुखलाल पुत्र रामाजी व मंछाराम पुत्र रामाजी एक ही व्यक्ति है। मौका–फर्द के अनुसार तथा राशन कार्ड, लाईट बिल, बैक पास बुक, पेन कार्ड, वोटर–कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम मनसुखलाल पुत्र रामाजी दर्ज है। अतः राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर की उक्त खाता सं. की आराजी में प्रार्थी का नाम मंछाराम पुत्र रामाजी के स्थान पर मनसुखलाल पुत्र रामाजी दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है अतः ***राजस्व ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर की खाता सं. 227, 270, 138, 225, तथा 153 में प्रार्थी का नाम मंछाराम पुत्र रामाजी के स्थान पर मनसुखलाल पुत्र रामाजी संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	

न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)